न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 36/24 GCMS NO 2024/82

1. मंजू पत्नि अभिषेक जाति जागा निवासी शिवजी नगर शास्त्री नगर जयपुर
2. रीना देवी पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी नसिया कालोनी गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. विश्राम पुत्र शिवलाल
2. लज्जा पुत्री शिवलाल
3. हुकमबाई पुत्री शिवलाल
4. बिरमा पुत्री शिवलाल
5. चौथी पुत्री शिवलाल
6. बालकिशन पुत्र श्रीराम
7. सोनबाई पत्नि श्रीराम
8. लख्खो बाई पुत्री श्रीराम
9. नीरी पुत्री श्रीराम
10. गुडडी पुत्री श्रीराम
11. किन्तों पुत्री श्रीराम
12. रामसहाय पुत्र जौहरी
13. धर्मी पुत्र भीका
14. भम्बल पुत्र भीका
15. काडू पुत्र भीका
16. धमोला पुत्री भीका
17. लोटनबाई पुत्री भीका
18. गल्ली पुत्री भीका
19. गल्ली पुत्री भीका
20. मल्ली पुत्री भीका
21. निरमा पुत्री भीका
22. सरोज पुत्री भीका
23. मोतीलाल पुत्र धुन्धी
24. रामप्रसाद पुत्र धुन्धी
25. मोहर सिह पुत्र धुन्धी
26. रणवीर पुत्र धुन्धी
27. भूरी पुत्री धुन्धी
28. काडी देवी पत्नि धुन्धी समस्त जातियान मीना निवासीयान लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
29. कल्लू बेग पुत्र अहमद बेग
30. जरीना पुत्री अहमद बेग
31. रहीसा पुत्री अहमद बेग
32. सिताारा पुत्री अहमद बेग जातियान मुसलमान निवासीयान लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
33. तहसीलदार टोडाभीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

34. सब रजिस्ट्रार तहसील टोडाभीम

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 38/23 निर्णय दिनांक 28.6.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 21.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.6.24 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 28 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम लाडपुर की आराजी ख0न0 225/0.86,226/0.18,227/0.35,228/0.05, 229/0.77, 230/0.78,231/0.75, 232/0.40, 233/0.35, 234/0.91 कुल किता 10 कुल रकबा 5.34 है0 के भू प्रबंध से पूर्व गत ख0न0 157 रकबा 14 बीघा 16 विस्वा , 158 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा है जो मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2043–62 से साबित है। उक्त आराजीयात सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। यह भूमि सायल न0 12 रामसहाय पुत्र जौहरी व सायल न0 1 ता 11 व 13 ता 28 के बुजुर्ग मृतक शिवला पुत्र कंचन ,भीका पुत्र मीठा ,धुन्धी पुत्र भूत्या ने पूर्व खातेदार रामचरण आर्य पुत्र रामप्रसाद स्वर्णकार निवासी टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.7.65 को खरीद की है। तथा विक्रय पत्र उप पंजीयक टोडाभीम के यहॉ विधिवत रजिस्टर्ड व पंजीवद्व हुआ है। इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त केताओ के पक्ष मे नामा0 संख्या 47 दिनांक 4.11.65 खाला व तस्दीक किया गया। विक्रेता रामचरण आर्य ने यह भूमि पूर्व खातेदार अहमद बेग, रहमत बेग पिसरान सफी बेग जाति मुसलमान टोडाभीम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.12.65 को खरीद की है। जिसका नामा0 संख्या 46 दिनांक 25.12.64 खुलकर तस्दीक हुआ तथा जमाबंदी मे अमल हुआ। ये दोनो विक्रय पत्र नामा0 आज तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये यथावत है। सायलान का इस भूमि पर विक्रय पत्र की दिनांक से आज तक बहैसियत खातेदार मालिक कब्जा है। इस भूमि से गैरसायलान 1 ता 4 तथा महमूद खां,कसायत अली,रहमत बेग , हरिमन बेग का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। ना ही पूर्व मे रहा है। खातेदारी मे दर्ज नाम नन्नी पत्नि अहमद बेग की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र पुत्री है जो पक्षकार गैरसायल बनाये है। विवादित भूमि के संबंध मे विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 जो कल्लूबेग पुत्र अहमद बेग,जरीना ,रहीशा,सीतारा पुत्रियां अहमद बेग जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम द्वारा गैरसायल मंजू,रीना के हक मे निष्पादित किया है गलत व अवैध फर्जी बनावटी है। उक्त विक्रेताओ को इस भूमि को विक्रय करने का किसी प्रकार का अधिकार स्वामित्व नही था ना ही इनका कब्जा था, ना ही खातेदारी ...... इस विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय नामा पूर्व मे उक्त विक्रेताओ के पिता अहमद बेग व इनके बुजुर्ग रहमत बेग द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

8.12.64 को रामचरण आर्य स्वर्णकार के हक मे किया जा चुका है। इस प्रकार विवादित भूमि मे संबंध मे विक्रय पत्र पुनः कानूनन नही हो सकता है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र नल एण्ड बोईड व बेअसर है तथा काबिले खारिज है। सायल व उनके वुजुर्ग सीधे सादे अनपढ व्यक्ति है उनके नाम विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड मे विक्रय पत्र के समय ही नामा0 खुल कर तस्दीक हो गया था तथा पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हाने नाम खातेदारी हो गई है। इसलिए सायल व सायलान के बुजुर्ग क्रेता निश्चिंत हो गये। अब राजस्व रिकार्ड जमाबंदी देखकर जानकारी हुई कि विक्रय पत्र व नामा0 के आधार पर जमाबंदी मे खातेदारी दर्ज नही हुई है। जब जानकारी हुई। तब सायलान ने तहसीलदार टोडाभीम से विक्रय पत्र व नामा0 के आधार पर सायलान के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा इंकार कर दिया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 6 को इस अमर से पाबन्द किया जावे कि ग्राम लाडपुर स्थित आराजी खा0न0 225/0.86,226/0.18,227/0.35,228/0.05, 229/0.77, 230/0.78,231/0.75, 232/0.40, 233/0.35, 234/0.91 कुल किता 10 कुल रकबा 5.34 है0 मे सायलान के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा किसी दीगर व्यक्ति को उक्त भूमि का विक्रय ,रहन या अन्य किसी प्रकार से ट्रान्सफर नही करे तथा गैरसायल न0 7 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा सायल न0 8 किसी भी रहन विक्रय के हस्तावेज का रजिस्टर्ड पंजीवद्व नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 संख्यां 1 ता 28 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायला न0 5 व 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब करने एवं अखबार मे सियाहा कराने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदार मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने टी आई मे वर्णित आराजीयात बाबत इस आशय का निर्णय किया है कि मूल वाद के निर्णय तक यथावत स्थिति बनाई रखी जावे। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई नजीरो मे स्पष्ट मत पारित किया है कि टी आई प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए या खारिज करना चाहिए। यथावत स्थिति का आदेश अपने आप मे बेग आदेश है तथा आदेश की श्रेणी मे नही आता है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। टी आई प्रार्थना पत्र जिस तरह तहरीर किया है तथा सायलान द्वारा समस्त तथ्य [illegible] दर्ज करवा दिये है, जिनका गैरसायलान से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है [illegible] 15.7.65 को किसी रामसहाय, शिवला,भीका,धुन्धी द्वारा किसी रामचरण [illegible] क्रय कर कभी कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्राप्त नही किया है और ना ही ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.7.65 या अन्य किसी भी दिन उप पंजीयक कार्यालय टोडाभीम मे विधिवत रजिस्टर्ड ही हुआ है और ना ही ऐसे किसी फाल्स फेब्रिग्रकेटैड विक्रय पत्र के आधार पर किसी के हक मे नामा0 संख्या 47 या अन्य कोई नामा0 दिनांक 4.11.65 को खोला व तस्दीक ही किया गया है, यदि वास्तव मे ऐसा कोई विक्रय पत्र दिनांक 15.7.65 को या अन्य किसी भी दिन पंजीवद्व हुआ होता और ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 4.11.65 को या अन्य कोई नामा0 खोला जाकर तस्दीक किया गया होता तो अवश्य ही उक्त तथाकथित रामचरण आर्य के हक मे खातेदारी अवश्य ही दर्ज हुई होती और आज वर्तमान रिकार्ड मे खातेदार रहमत बेग व अहमद बेग के नाम है तथा सायलान के पक्ष मे किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड दर्ज नही है टी आई का प्रथम बिन्दु प्राईमाफेसी केस साबित नही होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 के ना ही ऐसे कोई विक्रय पत्र ऐक्जिस्टेन्स मे ही है, जब कोई विक्रय पत्र ऐक्जिस्टेन्स मे ही नही है तब किसी विक्रय पत्र को न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता किसी भी प्रकार की नही है यदि वास्तव मे ऐसे कोई विक्रय पत्रो की प्राथमिकता होती और विधिक होते तो सायलान द्वारा पूर्व मे भी अधिनस्थ न्यायालय मे दावा उनवानी रूप सिह बनाम कल्लू बेग मु0न0 121/2020 बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.10.20 को मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 72/20 पेश किया था जिसमे सायलान ने उक्त तथाकथित फर्जी फाल्स फेब्रिकेटेड गैर कानूनी विक्रय पत्रो के संबंधी कोई तथ्य दर्ज नही किये और दावा व प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा स्वयं आगे चलकर न्यायालय मे उपस्थित होकर दिनांक 26.7.23 को नोट प्रेस मे खारिज करवा लिया था, इससे स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित विक्रय पत्र फाल्स फेब्रिकेटेड विक्रय पत्र है जो वमुकाबले गैरसायल संख्या 5 व 6 नल एण्ड बोईड व प्रभावहीन है। सायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी के एक इंच भू भाग पर ना ही पहले कभी कब्जा काश्त रहा है और ना ही मौके पर आज कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 कल्लू बेग, जरीना,रहीसा व सितारा ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 को गैरसायल संख्या 5 व 6 को सम्भाग मे विक्रय कर दिया है और विक्रय पत्र से आज दिन तक क्रय शुदा आराजी सम्पूर्ण के 1/5 हिस्से की भूमि पर गैरसायल संख्या 5 व 6 काबिज व दखिल है और विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व गैरसायल संख्या 1 ता 4 अपने पूर्वजो के समय से उक्त आराजी पर काबिज एवं दखिल चले आ रहे थे, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से सायलान का ना ही पहले कभी कोई संबंध रहा है और ना ही आज है। सायलान ने टी आई प्रार्थना पत्र बिलकुल गलत पेश किया है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। टी आई प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि के संबंध मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 को कल्लू बे[illegible] मे पंजीवद्व किया गया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 पूर्णतया वि[illegible]ही विक्रय पत्र है जो वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारान कल्लू बेग,ज[illegible] संख्या 5 व 6 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

20. मल्ली पुत्री भोका

Scanned with CamScanner

हक मे पंजीवद्व कराया गया है और विक्रय राशि चूकता नकद व जरिये चैक उसी दिन गैरसायला संख्या 5 व 6 से प्राप्त कर स्वयं को उक्त भूमि मे बुजुर्गो से प्राप्त कब्जे को मौके पर गैरसायला संख्या 5 व 6 को संभला दिया, जिसमे गैरसायला संख्या 5 व 6 की फसल काश्त खडी है। इस प्रकार भूमि मुतनाजा पर सायलान का ना ही पहले कोई सरोकार किसी प्रकार से रहा है और ना ही आज है। विक्रेताओ के पूर्वज अहमद बेग,रहमत बेग द्वारा दिनांक 8.12.64 को या अन्य किसी भी दिन किसी रामचरण आर्य या अन्य किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि का एक इंच भू भाग कभी विक्रय नही किया है यदि इस प्रकार का कोई विधिक व प्रमाणित विक्रय पत्र होता तो सायलान रेस्पो0 संख्या 1 ता 28 अवश्य ही पूर्व के दावे मे विक्रय संबंधी तथ्य दर्ज करते, इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 पूर्णतया विधिक व सही प्रभावशील विक्रय पत्र है जिसे आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय मे किसी व्यक्ति द्वारा चेलेन्ज नही किया गया है। सायलान द्वारा गैरसायलान संख्या 5 व 6 द्वारा क्रय की गई भूमि को हडपने की गरज से यह दावा बिलकुल गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है इन तथ्यो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा समस्त तथ्य बिलकुल झूठे एवं मनगढन्त दर्ज किये है रेस्पो0/सायलान के बुजुर्ग सीधे साधे व्यक्ति नही थे बल्कि चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिनकी हमेशा गांव वालो की आराजी को हडपने की बदनियती रहती थी। सायलान रेस्पो0 को गैरसायलान संख्या 1 ता 4 द्वारा गैरसायलान संख्या 5 व 6 के हक मे कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 की एवं इस तथ्य की बख़ूबी जानकारी पूर्व मे ही रही है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी साबिक मे गैरसायल संख्या 1 ता 4 के पूर्वजो के हक मे एवं वर्तमान मे गैरसायल संख्या 1 ता 4 के हक मे दर्ज रिकार्ड रही है। इससे पूर्व भी अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 26.10.20 को दावा उनवानी रूपसिह बनाम कल्लू बेग पेश किया जाकर नोटप्रेस मे खारिज करवाया जा चुका है। जिससे प्रार्थना पत्र अंकित आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के जरिये न्यायालय की इजाजत से गैरसायल संख्या 5 व 6 पक्षकार मुकदमा हाजा दर्ज हुए थे इस प्रकार सायलान को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.9.20 व वादग्रस्त भूमि की खातेदारी गैरसायल संख्या 1 ता 4 के हक मे दर्ज होने की बख़ूबी जानकारी सायलान को रही है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 28 ने गलत वाद कारण दर्ज कर उक्त टी आई प्रार्थना पत्र अपीलांटस के विरूद्व पेश की थी जिस पर अपीलांट के जबाब प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई गौर व ध्यान तहत न्यायालय ने नही दिया इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। खातेदारी कसायत अली,महमूद खां, हरिमन बेग के वारिसान पाकिस्तान चले गये जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यक्तियो के वारिसान जीवित है जिनको पक्षकार मुकदमा हाजा नही बनाया गया है और उनके वारिसान के स्थान पर राज्य सरकार को पक्षकार मुकदमा हाजा बिलकुल गलत खिलाफ कानून दर्ज किया गया है। उचित पक्षकारो को बनाये बिना उपरोक्त वाद पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य था इस प्रकार के वाद के साथ प्रस्तुत [illegible] को स्वीकार करना पूर्णतया विधि के विपरीत है। इस प्रकार अपीलाधीन [illegible] योग्य है। सालयान का प्रथम दृष्टया केस कतई साबित नही है एवं सुविधा [illegible] संतुलन भी सायलान के पक्ष मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

साबित नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो सायलान को लेसमात्र भी क्षति होने की संभावना किसी प्रकार की नही है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो अपीलांट को पूर्णतया क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। तहत न्यायालय ने गलत रूप से सायलान रेस्पो० के पक्ष मे टी आई के तीनो बिन्दुओ को साबित होना विधि विरूद्व तरीके से माना है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.6.24 निरस्त किया जाकर सायलान रेस्पो० संख्या 1 लगायत 28 द्वारा प्रस्तुत टी आई प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख०न० 225 रकबा 0.86, 226 रकबा 0.18,227 रकबा 0.35, 228 रकबा 0.05, 229 रकबा 0.77, 230 रकबा 0.78, 231 रकबा 0.75, 232 रकबा 0.40, 233 रकबा 0.35, 234 रकबा 0.91 कुल किता 10 कुल रकबा 5.34 है० की रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मे कल्लू बेग पुत्र अहमद बेग , कसायत अली पुत्र बरकत अली ,जरीना पुत्री अहमद बेग, नन्नी पत्नि अहमद बेग, महमुद खां पुत्र बजीरखां ,रहीसा पुत्री अहमद बेग, सितारा पुत्री अहमद बेग , व हयरिन बेग पत्नि रहमत बेग के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि ग्राम लाडपुरा के खाता संख्या 47 के खसरा न0 114, 181 व 240 को छोडकर शेष किता 38 रकबा 8.26 है0 का 1/5 भाग को कल्लूबेग पुत्र अहमद बेग , जरीना ,रहीसा,सितारा पिता अहमद बेग से से अपीलांट द्वारा दिनांक 30.9.20 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। विवादित आराजीयात के बाबत दावा घोषणा खातेदारी, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। पत्रावली मे शामिल विक्रय पत्र क्रमांक 129 दिनांक 8.12.64 से अहमद बेग,रहमत बेग पिसरान सफी बेग जाति मुसलमान ने रामचरण पुत्र रामप्रसाद आर्य स्वर्णकार के हक मे विक्रय पत्र पंजीवद्व हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रामचरण पुत्र रामप्रसाद आर्य स्वर्णकार ने शिवलाल पुत्र कंचन, रामसहाय पुत्र जौहरी ,भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र झूला जाति मीना के हक मे रजिस्टर्ड पंजीवद्व हुआ है। जिसका नामा0 संख्या 46 दिनांक 15.11.65 से शिवलाल पुत्र कंचन, रामसहाय पुत्र जौहरी ,भीका पुत्र मीठा, धुन्धी पुत्र झूला जाति मीना के हक मे स्वीकार हुआ है। जो पत्रावली मे शामिल है। पत्रावली मे ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही है जिससे साबित हो सके की विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हो। ना ही ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिससे विवादित आराजीयात पर कब्जा अपीलांट का होना दर्शित होता हो। विवादित आराजीयात के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे हक एवं अधिकारो का निर्धारण होना शेष है। इस प्रकार अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया केस अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने से किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति अपीलांट को होना संभव नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 38/23 मे पारित निर्णय दिनांक 28.6.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner